

राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, राज्य के राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में वाल्व प्रत्यारोपण हेतु वास्तविक लागत से कई गुणा अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

(1) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(121)वित्त/कर/2014-248 दिनांक 10.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/डिव/2010-64 दिनांक 25.8.2010 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-249 दिनांक 10.3.2016 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-208 दिनांक 08 मार्च, 2016 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी गया है;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011दिनांक 16.9.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 में इलेक्ट्रॉनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011दिनांक 16.9.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 में संशोधन किया गया है; एवं
5. अधिसूचना संख्या:एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011दिनांक 11.1.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 1(8) एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 में संशोधन किया गया है ।

जारी..2..

(2) श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कृषि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

कृषि विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(36)कृषि/गुप-2/2003/पीटी दिनांक 7.5.2015, जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 में मण्डी शुल्क से सशर्त छूट प्रदान की गई है;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-2/1975 दिनांक 22.6.2015, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(77)कृषि/गुप-2/2013-II दिनांक 31.8.2015, जिसके द्वारा संविदा खेती में जौ एवं मक्का को सम्मिलित किया गया है; एवं
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.7(18)कृषि/गुप-2/2005 दिनांक 11.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य, विधान सभा, गणेशगढ़ (श्रीगंगानगर) में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्साकर्मी नियुक्त करने एवं भवन निर्माण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।
- (II) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य, विधान सभा, सोजत राजकीय महाविद्यालय में पेयजल कनेक्शन करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।
- (III) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा, पाराशरा खरनाल बरणगांव, जिला नागौर सड़क का डामरीकरण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

5. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री नवनीत लाल, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2015-2016 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017

प्रथम अवस्था

अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।

दिनांक : 11 मार्च, 2016